ज्ञापन-पत्र जिनमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2025) को प्रख्यापित करना आवश्यक समझा गया।

उत्तर प्रदेश के कतिपय नगरों में नगर निगम की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये, जिससे उन नगरों में श्रेष्ठ नगर शासन सुनिश्चित हो सके, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) अधिनियमित है।

देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 19.95 करोड़ है जिसमें से 4.45 करोड़ जनसंख्या (22 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। वर्तमान में शहरों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल/सीमा विस्तार में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश के 17 नगर निगमों के राजस्व के मुख्य स्रोत संपत्ति कर, जल कर, बाजार, वेंडिंग जोन जैसे पट्टे पर दिए गए स्थानों का किराया एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये अनुदान आदि हैं। बदलते नगरीय परिदृश्य में प्रदेश के नगर निकायों के दायित्वों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नगर निगमों के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण दायित्वों के पूर्ण निर्वहन हेतु निकाय में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

ऐसे परिदृश्य में, बिलबोर्ड, होर्डिंग्स, डिजिटल डिस्प्ले, कियोस्क आदि जैसे विज्ञापन स्थलों से होने वाली आय की संभावना महत्वपूर्ण है। प्रदेश के कुल 17 नगर निगम, जिला मुख्यालय/मण्डल मुख्यालय होने से इन शहरों में शीर्ष सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं, ट्रांसपोर्टेशन, मुख्य पर्यटन स्थल विद्यमान हैं तथा विभिन्न व्यापारिक क्षेत्र एवं गतिविधियां संचालित हैं, जिससे यात्रियों/पर्यटकों का आवागमन भी बना रहता है। व्यापार एवं वाणिज्य के प्रचार–प्रसार के लिये विज्ञापन एवं होर्डिंग्स की आवश्यकता बनी रहती है। विज्ञापन एवं होर्डिंग्स के माध्यम से जहां एक ओर वेंडर को अपने उत्पादों/सेवाओं के प्रचार–प्रसार में सुविधा प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर वे नगर निगमों के आय के महत्वपूर्ण स्रोत है।

सूचना–संचार एवं डिजीटलीकरण के आधुनिक दौर में, डिजिटल डिस्प्ले, बिलबोर्ड, होर्डिंग्स, कियोस्क आदि जैसे विज्ञापन स्थलों में स्ट्रक्चर/उपकरणों की लागत अधिक होने से अत्यधिक धनराशि का व्यय अंतर्निहित है। उक्त के क्रम में, विज्ञापन हेतु नगर निगमों से अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त विज्ञापन एजेंसियों द्वारा स्ट्रक्चर आदि में अधिक धनराशि का निवेश किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 305 (1) में अनुज्ञा या नवीनीकरण की अवधि दो वर्ष निर्धारित है, जिससे स्पष्ट है कि विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अनुज्ञा समाप्ति के उपरांत, अर्थात् दो वर्ष के पश्चात, अपने विज्ञापन के स्ट्रक्चर को हटाया जाना अनिवार्य हो जाता है। विज्ञापन एजेंसियों द्वारा विज्ञापन स्ट्रक्चर आदि में एक बड़ी धनराशि निवेशित की जाती है जिसकी पूर्ति दो वर्षों में सम्भव न हो पाने के कारण निविदा में प्रतिभाग करने हेतु वृहद एवं उत्कृष्ट कोटि की विज्ञापन एजेंसियों की उदासीनता परिलक्षित होती है। उक्त के दृष्टिगत उक्त अधिनियम की धारा 305 (1) में दी गयी व्यवस्था में उल्लिखित अधिकतम अवधि ''दो वर्ष'' के स्थान पर अधिकतम ''पन्द्रह वर्ष'' किया जाना अपरिहार्य एवं आवश्यक है।

उक्त प्राविधानित व्यवस्था में अनुज्ञा या नवीकरण अवधि ''दो वर्ष'' के स्थान पर अधिकतम ''पन्द्रह वर्ष'' किये जाने से विज्ञापन स्ट्रक्चर आदि की निविदा और अधिक आकर्षक बनेगी, उच्च कोटि की विज्ञापन एजेन्सियाँ निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिये प्रोत्साहित होंगी एवं नगर निगमों में विज्ञापन हेतु विज्ञापन एजेंसियों के लिये वृहद निवेश, नवाचार तथा अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। उक्त के अतिरिक्त, लंबी अवधि की अनुज्ञा से बार–बार निविदा प्रक्रिया की आवश्यकता भी समाप्त होगी जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी एवं नगर निगमों को दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता प्राप्त होगी।

अतः विज्ञापन के क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे परिदृश्य में तकनीकी नवाचारों के अनुप्रयोग एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ ही दीर्घ अवधि के निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा 305 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया।

मा0 मंत्रि परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 प्रख्यापित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

ए0 के0 शर्मा
मंत्री,
नगर विकास।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2025)

[उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अंतर्गत प्रख्यापित किया गया तथा दिनांक 22 सितम्बर, 2025 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–2 खण्ड (क) में प्रकाशित हुआ]

(भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में प्रख्यापित**)**

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 305 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 305 की उपधारा (1) में शब्द ''प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से दो वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से पन्द्रह वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि नियमावली द्वारा विहित किया जाय'' रख दिये जायेंगे।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 74 सा0 विधायी–11–12–2025–(801)–1000 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।